

99



171

न्यायालय श्रीमान मध्यप्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर पीठ जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका क. 21 (मिगरानी कटनी) अ.सं. 12017/2997
पुनरीक्षणकर्ता

2017


विनोद कुमार सोनी पिता प्रेम लाल सोनी निवासी - मसुरहा वार्ड, तहसील व जिला कटनी




395

विरुद्ध

उत्तरार्थी



1. श्रीमती अनिता सोनी पति मुल्लु उर्फ सुशील सोनी निवासी- ईश्वरीपुरा वार्ड, कटनी
2. राजकुमार सोनी आत्मज प्रेमलाल सोनी
3. मुन्नी आत्मज प्रेमलाल सोनी दोनो निवासी-मसुरहा वार्ड, तहसील व जिला कटनी




आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भूराजस्व संहिता

पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग द्वारा प्रकरण क. 265/अ-6/2015-16 (श्रीमती अनिता सोनी विरुद्ध विनोद कुमार व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2017 से परिवेदित होकर निम्न तथ्य एवं आधारों पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर रहा है :-

तथ्य

1. यह कि, उत्तरार्थी क. 1 द्वारा वसीयतनामा के आधार पर ग्राम मौजा मुडवारा प. ह.नं. 45/2, न.बं. 408/1 पर बने मकान रकवा 374 वर्गमीटर के नामांतरण हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार नजूल कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । तहसीलदार नजूल द्वारा इशतहार का प्रकाशन कराया गया एवं दावा आपत्ति प्राप्त की गई नियत समय पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर राजस्व निरीक्षक से स्थल जांच प्रतिवेदन लिया गया । राजस्व निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में लेख किया कि उक्त स्थल मसुरहा वार्ड में सोनी मोहल्ला नजूल शीट क. 15-बी के भूखंड क्रमांक 275 में स्थित है मौके पर पक्का मकान निर्मित है जिसमें विनोद कुमार सोनी का नाम अभिलेख में दर्ज है । जिस पर उत्तरार्थी क. 2 वसीयत के




27

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - ९८७/निगरानी/कटनी/श्रु.रा./२०१७/१९९७

जिला - कटनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/03/2018	<p>आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं। समय-समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई, परंतु कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

3